Mr. SPEAKER : I am not going to allow anything to go on record if you persist like this and speak without my permission. (*Interruptions*). Shri Shankaranand.

SHRI B. SHANKARANAND : I have already laid it on the Table.

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : *Arising out of the assurances*, I want to say the Minister has not made any statement about the firing at Ambernath.

MR. SPEAKER : To which assurance are you referring to ? There may be hundreds of assurance. I am not going to allow it.

SHRI R. V. BADE (Khargone) : The House is anxious to have a statement from the minister.

SHRI S. M. BANERJEE : It arose out of the violation of the Payment of Wages Act, which is a Central Act. Many days have passed and it will be just a *post mortem* now. Will you remind him to make a statement ?

MR. SPEAKER : I will be asking him to do it.

श्री हुकम चन्द कछवाय (मुरेना) : अध्यक्ष महोदय, वक्तव्य देने के बारे में मंत्री महोदय क्या कहना चाहते हैं ? वह वक्तव्य देने के लिए तैयार हैं ।

MR. SPEAKER : Will the Minister please come with a statement at a later stage ?

SHRI R. K. KHADILKAR : So far as I can recollect, I have never given any assurance. The matter was raised This *is a law and order problem within the purview* of the State Government.

MR. SPEAKER : You could have said it then and the matter could have been finished. The other day when it was directed to you, you could have come with any statement you liked.

SHRI R. K. KHADILKAR : Perhaps I thought it was directed towards the Home Minister.

SHRI S. M. BANERJEE : I know Mr. Khadilkar's position will become very embarrassing so far as the State Government is concerned. They were killed because they demanded payment of wages. And, Payment of Wages Act is a Central Act. That is why the Central Minister should *make a statement*.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : Is he going to make a statement ?

SHRI R. K. KHADILKAR : As I said, the implementation of the Payment of Wages Act rests with the States.

SHRI S. M. BANERJEE : I know that. (*Interruptions*).

श्री हुकम चन्द कछवाय : माननीय मंत्री जी जानबूझ कर बचना चाहते है ।

SHRI JYOTIRMOY BOSU : Is he making a statement ?

MR. SPEAKER : The other day when this matter was raised, I informed Shri Banerjee that it is within the jurisdiction of the State. Then he raised the question of wages and somehow tried to link it up with the Central authority. So, I leave it to the Minister to say whatever he likes. If necessary, he can come prepared tomorrow. Hon. Members have to bear in mind that there is no President's rule in any States now. We were doing it in the past when there was President's rule in some States.

SHRI PILOO MODY (Godhra) : Nothing is left to the States these days.

12.11 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(1) IRREGULARITES IN PURCHASE OF U. P. WHEAT FROM FARMERS IN DELHI AND HARYANA

श्री रामचन्द्र विकल (बागपत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा कृषि मंत्री जी का ध्यान केन्द्रीय सरकार की किसानों के गेहूं की खरीद के सम्बन्ध में जो घोषित नीति है, उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय,

सरकार ने यह घोषणा की थी कि हम 76 रुपये क्विंटल पर किसानों से गेहूं खरीदेंगे, लेकिन मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के बारे में निजी जानकारी है, आज 4 मई तक अनेकों केन्द्रों में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित किये गये हैं, कोई सरकारी कर्मचारी गेहूं खरीदने के लिए नहीं पहुंचे और जिन केन्द्रों में कुछ कर्मचारी पहुंचे, वे भी किसानों के लिए अनेकों कठिनाई और परेशानी पैदा किये हुये हैं। मैंने स्वयं मौके पर जा कर देखा है, पहले गेहूं आढ़ती के पास जायेगा, उसके बाद आढ़ती का माल ज्यादा खरीदते हैं, किसानों का ज्यादा नहीं खरीदते हैं। जहां थोड़ी बहुत खरीद है, वहां भी लाइन में लगने के सम्बन्ध में, चैक देने के सम्बन्ध में कई कई दिन तक चैक के न भुनने के सम्बन्ध में अनेकों शिकायतें आ रही हैं। तोल के सम्बन्ध में भी शिकायत है कि सही तोल नहीं की जा रही है, इस तरह से किसानों के अन्दर बहुत ज्यादा असन्तोष फैल रहा है।

मैं कृषि मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी जो घोषित नीति है, उस पर अमल कराये। अब तक उसके ऊपर बिल्कुल अमल नहीं हो रहा है। नतीजा यह हो रहा है कि किसान को अपना सारा गल्ला, विशेष कर जो छोटे किसान हैं जो गल्ले को जमा कर के नहीं रख सकते, आढ़तियों के यहां ले जाना पड़ता है, क्योंकि केन्द्रों में अभी तक सरकारी कर्मचारी नहीं पहुंचे हैं।

इस बार इस काम के लिए तीन ऐजन्सियों की घोषणा की गई थी—खाद्य निगम खरीदेगा, कोआपरेटिव विभाग खरीदेगा और स्टेट गवर्नमेंट्स खरीदेंगी, इन तीन एजेन्सियों के बावजूद भी अभी तक उनके खरीददार केन्द्रों में नहीं पहुंचे हैं और जहां पहुंचे हैं वहां भी से शिकायतें आ रही हैं। मैं चाहता हूं कि कृषि मन्त्री तुरन्त अपनी घोषित नीति पर अमल करें और किसानों से जो वायदा किया है गल्ला खरीदने का, उसको वह पूरा करें।

MR SPEAKER : I allowed these three hon Members because their motion is pending with me The calling Attention scheduled for today had to be postponed because the Minister was not there. So, I am allowing them one or two minutes each to express their viewpoint

(II) CEILING ON AGRICULTURAL HOLDINGS

श्री नाथूराम मिर्धा (नागौर) अध्यक्ष महोदय, जमीन की सीलिंग के सवाल को लेकर जिस प्रकार का वाद-विवाद आज अखबारों में और देश में सब जगहों पर उठ खड़ा हुआ है उसके बारे में सरकार की जो नीति है

श्री बी० पी० मौर्य (हापुड़) : वह खाद्य मन्त्रालय को गुमराह करने वाली नहीं है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है।

श्री नाथराम मिर्धा : आपकी राय में है। खाद्य मन्त्रालय की कुछ जिम्मेदारी है।

श्री बी० पी० मौर्य : कोई जिम्मेदारी नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जिम्मेदारी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का वाद-विवाद बहुत दिनों तक चलते देना अच्छा नहीं है। इस सारे मामले पर एक दफा गहराई से सोचना चाहिए—क्या हमारी नीति है, क्या हम चाहते हैं, क्या हमारा समाजवाद है, क्या एक परिवार की आमदनी की तस्वीर देश में होनी चाहिए—ये सारे अहम सवाल हैं और कई दूसरे मामलों के साथ जुड़े हुए हैं। इस लिए मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा समय निकाला जाय, जिसके जरिये इस सदन में बैठने वाले हम सब लोग अपने विचारों का आदान-प्रदान अच्छी तरह से कर सकें इस सारे मामले पर गहराई से सोच सकें। हम इस देश में लोकतन्त्र चाहते हैं, लोकतन्त्र के जरिये इस देश में जो गरीबी व्याप्त है, उसको बाहर निकालना चाहते हैं देश के धन को बढ़ाना चाहते हैं और उस का सही वितरण करना चाहते हैं, उसके लिए तमाम